न्यायालय उप जिलाधिकारी, नवाबगंज(बरेली)।

वाद सं0: 03 /2007 धारा 143 ज0 वि0 एवं भू0 व्यव0 अधि0

उर्मिला अग्रवाल आदि बनाम सरकार

आराजी स्थित ग्राम लभेड़ा उर्फ बुलन्द नगर तहसील नवाबगंज(बरेली)।

निर्णय

प्रस्तुत वाद श्रीमती उर्मिला अग्रवाल पत्नी श्री राकेश कुमार अग्रवाल आदि नि0 ग्राम मोहल्ला एकता नगर शहर, बरेली द्वारा ग्राम लभेड़ा उर्फ बुलन्द नगर, तहसील नवाबगंज(बरेली) में स्थित भूमि खाता सं0 114 के गाटा सं0 294 रकबा 0.368 हे0 को अकृषिक घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसीलदार की आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार ने नायब तहसीलदारकी आख्या जो ज0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधि0 के नियम 135(1) के अन्तर्गत प्रारूप पर दी गई है, को अग्रसारित करते हुए अवगत कराया है कि प्रश्नगत आराजी स्थित ग्राम लभेड़ा उर्फ बुलन्दनगर के गाटा सं0 294 के सम्पूर्ण क्षेत्रफल 0.368 हे0 पर राज श्री वेयर हाउस के गोदाम, आवास व धर्मकांटा आदि निर्मित हैं, कृषि कार्य नहीं हो रहा है। प्रश्नगत भूमि गाटा सं0 294 रकबा 0.368 हे0 को धारा 143 जेड0ए0एण्ड एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं तहसीलदार की आख्या का विधिवत अध्ययन किया गया। तहसीलदार की आख्या दिनांक25-8-2007 के आधार पर प्रश्नगत आराजी को अकृषिक घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं है।

आदेश

अतः ग्राम लभेड़ा उर्फ बुलन्द नगर, परगना व तहसील नवाबगंज(बरेली) में स्थित गाटा सं0 294 के सम्पूर्ण क्षेत्रफल 0.368 हे0 पर राजश्री वेयर हाउस के गोदाम, आवास व धर्मकांटा आदि निर्मित हैं, कृषि कार्य नहीं हो रहा है, अकृषिक घोषित किया जाता है। जमीं0 विनाश अधि0 की धारा 145 एवं तद्विषयक नियमावली के नियम 137 के अन्तर्गत यह आदेश दिये जाते हैं कि आदेश की दो प्रति उप निबन्धक नवाबगंज को इस आशय से भेजी जावे कि वह प्रश्नगत आराजी को निःशुल्क अकृषिक पंजीकृत कर अनुपालन उपरान्त एक प्रति इस न्यायालय को वापिस करें। तदोपरान्त खतौनी में प्रविष्टि हेतु परवाना अमलदरामद जारी किया जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:

(एम0 पी0 सिंह)
उप जिलाधिकारी, नवाबगंज(बरेली)।

उक्त निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक:

उप जिलाधिकारी,
नवाबगंज-बरेली।

न्यायालय उप जिलाधिकारी, नवाबगंज(बरेली)।

वाद सं0 : 04/2007 धारा 143 ज0 वि0 एवं भू0 व्य0 अधि0

सरकार बनाम उर्मिला अग्रवाल आदि ग्राम लभेड़ा उर्फ बुलन्द नगर तहसील नवाबगंज (बरेली)।

निर्णय

प्रस्तुत वाद तहसीलदार नवाबगंज की आख्या दिनांक 25-8-2007 जो ज0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधि0 के नियम 135(1) के अन्तर्गत प्राप्त पर दी गई है, के आधार पर वाद पंजीकृत किया गया। तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक की आख्या अग्रसारित करते हुए अवगत कराया है कि प्रश्नगत आराजी स्थित ग्राम लभेड़ा उर्फ बुलन्दनगर के गाटा सं0 293 के सम्पूर्ण क्षेत्रफल 0.617 है0 पर राजश्री वेयर हाउस के गोदाम आदि बने हुए हैंतथा व्यवसायिक एवं आवासीय उपयोग में आ रही है। कृषि कार्य नहीं हो रहा है। प्रश्नगत भूमि गाटा सं0 293/0.617 है0 को धारा 143 जेड0ए0 एंड एल0 आर0 एक्ट के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार की आख्या का विधिवत अध्ययन किया। तहसीलदार की आख्या दिनांक 25-8-07 के आधार पर प्रश्नगत आराजी को अकृषिक घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं है।

आदेश

अतः ग्राम लभेड़ा उर्फ बुलन्द नगर , परगना व तहसील नवाबगंज(बरेली) में स्थित गाटा सं0 293के सम्पूर्ण क्षेत्रफल 0.617 है0 पर राजश्री वेयर हाउस के गोदाम आदि बने हुए हैं तथा व्यवसायिक एवं आवासीय उपयोग में आ रही है, अकृषिक घोषित किया जाता है। जमीं0 विनाश अधि0 की धारा 145 एवं तद्विषयक नियमावली के नियम 137 के अन्तर्गत यह आदेश दिये जाते हैं कि आदेश की दो प्रति उप निबन्धक नवाबगंज को इस आशय से भेजी जावे कि वह प्रश्नगत आराजी को निःशुल्क अकृषिक पंजीकृत कर अनुपालन उपरान्त एक प्रति इस न्यायालय को वापिस करें। तदोपरान्त खतौनी में प्रविष्टि हेतु परवाना अमलदरामद जारी किया जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही उपरान्त पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:

(एम0 पी0 सिंह)
उप जिलाधिकारी, नवाबगंज(बरेली)।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक:

उप जिलाधिकारी,
नवाबगंज-बरेली।

सत्य प्रतिलिपि

कार्यालय उपजिलाधिकारी नवाबगंज

नकल संवाल देने का
शब्द
टिकट

न्यायालय उप जिलाधिकारी, नवाबगंज(बरेली)।

वाद सं0: 05/2007 धारा 143 ज0 वि0 एवं भू0 व्य0 अधि0

राजेन्द्र कुमार अग्रवाल आदि बनाम सरकार

आराजी स्थित ग्राम लभेड़ा उर्फ बुलन्दनगर
तहसील नवाबगंज(बरेली)।

अकृषक — निर्णय दि0 15-10-07

प्रस्तुत वाद राजेन्द्र कुमार अग्रवाल आदि नि0 एकतानगर शहर बरेली द्वारा ग्राम लभेड़ा उर्फ बुलन्दनगर, तहसील नवाबगंज(बरेली) में स्थित भूमि खाता सं0 172 के गाटा सं0 292 रकबा 1.841 हे0 को अकृषिक घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसीलदार की आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार ने नायब तहसीलदार की आख्या जो ज0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधि0 के नियम 135(1) के अन्तर्गत प्रारूप पर दी गई है, को अग्रसारित करते हुए अवगत कराया है कि प्रश्नगत आराजी स्थित ग्राम लभेड़ा उर्फ बुलन्दनगर के गाटा सं0 292 के कुल क्षेत्र0 1.841 हे0 में से 0.506 हे0 पूर्व में ही दि0 23-2-07 को अकृषिक घोषित किया जा चुका है, शेष 1.335 हे0 पर भी राजश्री वेयर हाउस के गोदाम निर्मित हो चुके हैं तथा कृषि कार्य नहीं हो रही है। प्रश्नगत भूमि गाटा सं0 292 के शेष क्षेत्रफल 1.335 हे0 को धारा 143 जेड0ए0 एण्ड एल0आर0एक्ट के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं तहसीलदार की आख्या का विधिवत अध्ययन किया गया। तहसीलदार की आख्या दि0 25-8-07 के आधार पर प्रश्नगत आराजी को अकृषिक घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं है।

आदेश

अतः ग्राम लभेड़ा उर्फ बुलन्दनगर, परगना व तहसील नवाबगंज(बरेली) में स्थित गाटा सं0 292 के शेष क्षेत्रफल 1.335 हे0 पर राजश्री वेयर हाउस के गोदाम निर्मित हैं, कृषि कार्य नहीं हो रहा है अतएव अकृषिक घोषित किया जाता है। जमीं0 विनाश अधि0 की धारा 145 एवं तद्विषयक नियमावली के नियम 137 के अन्तर्गत यह आदेश दिये जाते हैं कि आदेश की दो प्रति उप निबन्धक नवाबगंज को इस आशय से भेजी जावे कि वह प्रश्नगत आराजी को निःशुल्क अकृषिक पंजीकृत कर अनुपालन उपरान्त एक प्रति इस न्यायालय को वापिस करें। तदोपरान्त खतौनी में प्रविष्ट हेतु परवाना अमलदरामद जारी किया जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:

(एम0 पी0 सिंह)
उप जिलाधिकारी, नवाबगंज(बरेली)

उक्त निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक:

उप जिलाधिकारी,
नवाबगंज(बरेली)।

छाया प्रतिलिपि
अभिलेखपाल (माल)
दिनांक 18/5/11

न्यायालय उप जिलाधिकारी, नबाबगंज बरेली ।

वाद सख्या 6/08–09 अन्तर्गत धारा 143 जैड0ए0एल0आर0एक्ट

उर्मिला अग्रवाल आदि बनाम सरकार

ग्राम लड़ेभा उर्फ बुलन्दनगर पर0तह0 नबाबगंज बरेली ।

निर्णय

श्रीमती उर्मिला अग्रवांल पत्नी श्री राकेश अग्रवाल निवासी एकतानगर बरेली ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर ग्राम लभेड़ा उर्फ बुलन्दनगर के गाटा संख्या 288 रकबा 0.538 व 290 रकबा 0.873, 289 रकबा 0.436 है0 को अकृषक घोषित किये जाने का अनरुोध किया। जिस पर तहसीलदार नबाबगंज बरेली से आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार नबाबगंज ने अपनी आख्या में राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 29.1.09 को अग्रसारित किया है। जिसमें अंकित किया गया है कि ग्राम बुलन्दनगर के गाटा संख्या 288 रकबा 0.538 व 290 रकबा 0.873, 289 रकबा 0.436 है0 पर स्थल पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है जिस पर इन्जीनियरिंग कालेज का निर्माण शुरू हो गया है। उक्त गाटा संख्या में कृषि उपयोग में न होने के कारण अकृषक घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों को अवकलोकन किया एव वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना। पूर्ण तथ्यो को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त गाटा पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है और न ही उस पर कुक्कट पालन आदि का कार्य हो रहा है बल्कि उसपर इन्जीनियरिंग कालेज का निर्माण हो रहा है। अतः उक्त गाटा संख्या को अकृषक घोषित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः तहसीलदार की आख्या से सहमत होते हुये ग्राम लड़ेभा उर्फ बुलन्दनगर पर0तह0 नबाबगंज गाटा संख्या 288 रकबा 0.538 व 290 रकबा 0.873, 289 रकबा 0.436 है0 को अकृषक घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति सब रजिस्ट्रार नबाबगंज को भेजी जाये । पत्रावली वाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो।

दिनांक : 30.1.09

30/1/09

उप जिलाधिकारी,
नबाबगंज, बरेली।

COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES — CANCELLED

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES — CANCELLED

सत्य प्रतिलिपि

अहलमद (माल)
कार्यालय उप-जिलाधिकारी नबाबगंज